2.7.15 पंचायत में पंचकुमी। कर्मी अनु. थी। प्रतिकर्मी अपस्थित थी। प्रतिकर्मीगण ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि कर्मी फौत हो चुका थी वादी ने अपने जीवन काल में ही, कुरानी का बैंचान कर कब्जा सौंप दिया थी।

चूंकि प्रतिकर्मी पक्ष ने कथनानुसार वादी फौत हो चुका थी तथा वादी ने अपने जीवन काल में ही कुरानी का बैंचान कर अन्य व्यक्ति को कब्जा सौंप दिया था। अतः दोनों की मांग की डिक्री जारी की जाती थी। पत्रावली समाप्त होकर बाद नकल एकमीक दाखिल दफ्तर हो। नम्बर ति कर दी

रामभरोसा

दीपचन्द

बालाजगन्नाथ

रामरेखा
सरपंच
ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा
पं.स. मनोहरथाना जिला झालावाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत
मनोहरथाना (झालावाड़)

Scanned by CamScanner